

प्रेषक,  
धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
जिलाधिकारी  
हरदोई।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2024

**विषय:- प्रान्तीयकृत मेला बेरिया घाट वर्ष 2023-24 को सम्पन्न कराने एवं समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2118/एल०बी०सी०-21-बेरियाघाट मेला/2024, दिनांक 30.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद हरदोई के प्रान्तीयकृत मेला बेरिया घाट मेला के आयोजन हेतु वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों हेतु धनराशि आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरदोई के प्रान्तीयकृत मेला बेरिया घाट मेला के आयोजन हेतु वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों हेतु रू०-05.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि **रू०-05.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) उक्त स्वीकृत धनराशि का मितव्ययतापूर्ण व्यय विवरण मय फोटोग्राफ उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसको तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (ii) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।
- (iii) शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 ( रुपये पांच लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500** स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगाने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by  
(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)  
Date: 02-03-2023 16:28:09  
Reason: Approved  
उ०प्र० शासन।

संख्या- 390/2024/027-58MELA-18, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला हरदोई ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-06/02/2024


प्रेषण संख्या:- 390  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-390-2024-027-58MELA-18  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं  
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 5500000	500000 5500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	500000 5500000	500000 5500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पचपन लाख

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव